19.05.25 पत्रावली पेश। प्रार्थीयागण वकील उप. अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल होकर प्राप्त। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं। रुक रुक कर तीन बार आवाज दिलवाई गई, कोई उपस्थित नहीं होने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अधिवक्ता प्रार्थीयागण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा चावरला पटवार हल्का चावरला के खेत खसरा नं. 773, 775/1335, 694 जुमले रकबा 0.92 हेक्टेयर पैतृक कब्जा काश्त की आई हुई है। वादग्रस्त हमारे दादा जी के फौत होने के बाद हमारे पिता, अप्रार्थी मानाराम के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार उपरोक्त आराजी में हमारा पुश्तैनी मालिकाना हक हकूक है। हमारे पिता, उपरोक्त आराजी को नाजायज जरूरत हेतु किसी अजनबी को बेचान करना चाहते हैं उक्त आराजी को अगर अजनबी [illegible] बेचान कर दिया तो [illegible] होगी। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.27 17:50:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया, साथ ही पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

—: आदेश :—

अतः प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा बावरला, पटवार मण्डल बावरला के खेत खसरा नं. 773, 775/1335, 694 जुमले रकबा 0.92 हेक्टेयर में राजस्व रेकर्ड में यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली [illegible] होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.27 17:30:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner